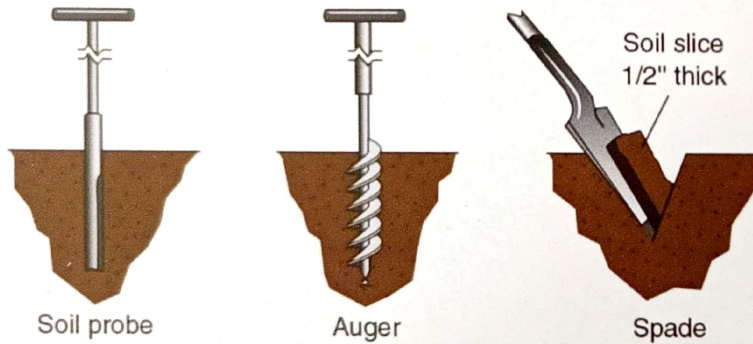




संकलन एवं संपादन

1. डा० राजीव कुमार
वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान
2. डा० रमेश कुमार
वैज्ञानिक (उद्यान)
3. डा० अशोक कुमार सिन्हा
वैज्ञानिक (कृषि अभियंत्रण)

सहयोग

श्री दिलीप कुमार पाण्डेय
प्रक्षेत्र प्रबंधक

मार्गदर्शन : डा० (श्रीमती) रेखा सिन्हा
निदेशक प्रसार शिक्षा, बी.ए.यू., राँची, झारखण्ड

मिट्टी नमूना लेने की विधि



कृषि विज्ञान केन्द्र, पलामू
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय
राँची (झारखण्ड)

मिट्टी का नमूना लेने के लिए खुरपी या कुदाल से आकार का एक बित्ता गहरा गड्ढे के अन्दर की सब मिट्टी निकाल दें तथा खुरपी से दो अंगुल मोटी परत उपर से नीचे तक खुरच लें और एक साफ कागज में जमा कर लें। इस प्रकार कई स्थानों से जमा की गई मिट्टी को अच्छी प्रकार मिलाकर छाया में सुखा लें और आधा किलो मिट्टी का नमूना ले लें।

फलों के पेड़ (बगीचे) लगाने के लिए 1 से 2 हेक्टेयर के बीच एक मीटर गड्ढा खो दें, जिसकी एक दीवार सीधी हो। अब सीधी दीवार पर 15, 30, 50 और 100 से.मी. पर निशान लगावें। अब एक बाल्टी को 15 से.मी. पर निशान लगाये गये निशान पर रखें तथा खुरपी की सहायता से ऊपर से लेकर इस निशान तक मिट्टी की मोटी परत खुरच कर बाल्टी में रख लें। इस प्रकार चारों गहराईयों से नमूना लेकर छाया में सुखाकर जाँच हेतु भेजें।

तीन सूचना पत्र बनाएँ। एक सूचना पत्र सावधानी से कपड़े की थैली में भर दें, दूसरा बाहर बाँध दें, तीसरा अपने पास रखें।

सूचना पत्र के साथ नीचे लिखी सूचनाएँ भेजें -

1. किसान का नाम, ग्राम, डाकघर, जिला, प्लॉट नं., मोबाईल नं०
2. खेत की स्थिति - नीची मध्यम नीची (दोन 3, दोन 3, टांड 2, 3)
3. गाँव का नाम (4) नमूना इकट्ठा करने की तिथि -
4. मिट्टी की किरमें - केवाल, बलुआही
5. कौन-सी फसल लगाना चाहते हैं, खरीफ में रबी में गर्मी में,
6. खेत में सिंचाई की सुविधा है या नहीं।
7. खेत में पिछले तीन वर्षों में कौन-सी खाद कितनी मात्रा में डाली गई है।
8. खेत में पिछले तीन वर्ष में उपजाई गई फसलों की औसत उपज।

सावधानी :

1. फसल अगर कतारों में बोई गई हो तो कतारों के बीच की जगह से मिट्टी न लें।
2. असामान्य स्थान, जैसे-सिंचाई की नालियाँ, दलदली जगह, पुरानी मेढ़ एवं पेड़ के निकट तथा खाद के ढरे से नमूना न लें।
3. खेत में हरी खाद, कम्पोस्ट तथा रासायनिक खाद डालने के तुरन्त बाद मिट्टी का नमूना न लें।
4. मिट्टी का नमूना खाद के बोरे या खाद की थैली में कभी न रखें।
5. खेत से नमूना खेत की गीली अवस्था में न लें। खेत की मिट्टी की जाँच तीन साल में एक बार अवश्य करावें।
6. सिंचाई की नालियाँ, दलदली जगह, पेड़ के निकट पुराना मेड़ से या जिस जगह खाद रखी गयी हो वहां का नमूना न लें।
7. सूचना पत्र को पेन्सिल से लिखें।
8. आप सूचना पत्र की नकल अपने पास में रखें क्योंकि मिट्टी जाँच की रिपोर्ट मिलने पर आपको सही मालूम होगा कि खेत में कौन सी फसल लेनी है तथा कितनी खाद या कितना चूना डालना है।

मिट्टी का नमूना कहाँ भेजें ?

मिट्टी का नमूना लेने के बाद उसकी जाँच हेतु आप स्थानीय, कृषक मित्र, जनसेवक, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, BTM/ATM को या आप किसी भी निम्नलिखित निकटतम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में नमूना ले जाकर दे सकते हैं जहाँ इसकी जाँच मुफ्त की जाती है।

मिट्टी जाँच प्रयोगशाला

गढ़वा

1. मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, के.भी.के. गढ़वा